पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के महाप्रबंधक के साथ दिनांक 14 जुलाई 2018 को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित ज्ञापन

रैक आपूर्ति में हो रही असुविधा

बिहार के बाहर करीब–करीब सभी प्रदेशों में दूसरे स्थान में माल भेजने एवं मंगाने हेतु 2 से 3 दिन में रैक की आपूर्ति हो जाती है परन्तु देश के किसी भी प्रान्त से बिहार में माल भेजने एवं मंगाने हेतु रैक की आपूर्ति में काफी लम्बा समय लग जाने के कारण व्यवसायी अपना सामान समय से नहीं मंगा पाते हैं जिससे उनका तो आर्थिक नुकसान होता ही है साथ ही रेलवे का राजस्व भी प्रभावित होता है । रैक की समय पर आपूर्ति होने में क्या तकनीकी बाधा होती है इस पर गंभीरता से रेलवे को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

Booking Restriction और e-restriction में क्या फर्क है क्योंकि बहुत से व्यवसायियों की यह शिकायत होती है कि e-restriction बताकर रैक की बुकिंग नहीं लिया जाता है ।

चैम्बर को ऐसा सूचना होता है कि बिहार में एक माह से पहले रैक की आपूर्ति नहीं होती है । कुछ रैक की आपूर्ति छः माह से नहीं की गई है ।

ऐसी जानकारी है कि केवल पूर्व रेलवे से उत्तर बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के मात्र दो डिविजन समस्तीपुर एवं सोनपुर में एक हजार से अधिक रैक की आपूर्ति Outstanding है जिसके कारण उत्तर बिहार में नेश्नल हाईवे, सड़क, पुल के निर्माण कार्य एवं रेलवे के प्रोजेक्ट का कार्य बाधित है ।

नये रैक साइडिंग से संबंधित सुझाव

राज्य में मालों की आपूर्त्ति रेलवे के रेकों द्वारा सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य में अतिरिक्त नये रेक साइडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

बिहार के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त रेक साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ यार्ड की सुविधा भी संलग्न हो।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से Proposed new rake siding की सूची अलग से संलग्न है ।

वर्तमान रैक साइडिंग पर बुनियादी सुविधाओं यथा – स्वच्छ जल, सफाई, शेड, पर्याप्त रौशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(a) फतुहाँ– दानापुर (नेऊरा) साइडिंग over Loaded है। इसलिए पटना के नजदीक एक नयी Multiple Rake Siding with Associated Facilities बनायी जानी चाहिए।

क्रमशः.....2

(b) फतुहाँ कंटेनर टर्मिनल को कंटेनर हैण्डलिंग की पूर्ण सुविधाओं एवं कंटेनर यार्ड में कंटेनर स्टौकिंग के साथ चालू किया जाना चाहिए।

बिहार में रेलवे के विकास से संबंधित मुद्दे

यह अत्यंत संतोष की बात है कि रेलवे ने बिहार के लिए निम्न परियोजनाओं की घोषणा की है, लेकिन उपरोक्त सभी परियोजनाएँ काफी दिनों से लंबित हैं, अत: हमारा आग्रह है कि इन परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने की कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारा यह भी आग्रह है कि इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति यदि संभव हो तो हमारे सदस्यों को सूचित करने की कृपा की जाए ।

परियोजना का नाम

1. डालमियानगर में रेल डब्बा कारखाना
2. गड़हरा मे डब्बा मरम्मती कारखाना
3. समस्तीपुर में लोको शेड एवं मरम्मत कारखाने
4. गरखा में रेल डब्बा पुर्ननिर्माण कारखाना का विस्तार

नयी रेलवे लाइन तथा नये रेलवे स्टेशन

(i) वैशाली को रेल से जोड़ने के लिए प्राथमिकता से काम होना चाहिए।

(ii) शेखपुरा–नेउरा भाया दनियावॉ रेलवे लाईन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए जिससे कि इस लाईन पर गाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ हो सके ।

(iii) दोहरीकरण एवं गेज कनवर्सन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाना चाहिए ।

(iv) स्थानीय गाड़ियों को प्राथमिकता देने के कारण पश्चिम मे मुगलसराय से एवं पूरव मे झाझा से प्रवेश करने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियाँ लाइन की कमी के कारण अत्यंत देर से चलती है । अत: मुगलसराय से झाझा के बीच एक तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का निर्माण होना चाहिए।

(v) किउल नदी के उपर पुराने पुल के समानान्तर जो नया पुल निर्माणाधीन है उसे शीघ्रातिशीघ्र पुरा किया जाये। इसके अतिरिक्त पुराने पुल को रोड बनाकर लखीसराय एवं किउल को आवागमन हेतु लिंक कर दिया जाये।

पूर्व मे घोषित नयी रेल लाइनों का समयबद्ध कार्यान्वयन का आग्रह

अनेक नयी रेलवे लाइनों की घोषणा हो चुकी है, परन्तु उनका कार्यान्वयन वर्तमान में लम्बित है जैसे–

(i) नवादा–लक्ष्मीपुर

(ii) गया–बोधगया

(iii) चतरा–नटेसर

क्रमश:.....3

(iv) आरा–भभुआ

(v) मुजफ्फरपुर–दरभंगा

(vi) कुरसैला– बिहारीगंज

(vii) सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली

(viii) दरभंगा– कुशेश्वर स्थान

(ix) सकरी– हसनपुर

(x) खगड़िया– कुशेश्वर स्थान

उपरोक्त नयी रेल लाइनों को यथा शीघ्र पूरा कराने की कार्रवाई की जाए।

माल यातायात से संबंधित सुझाव

(a) रेलवे माल को देरी से हटाने पर पेनाल्टी लगाता है। सामान्य परिस्थिति मे तो माल हटाने में देरी करने पर पेनाल्टी लगाना उचित है परन्तु जब सारी परिस्थितियाँ ही व्यापारी के विपरीत है तथा " Force Majeure Clause " के अन्तगर्त हो फिर भी रेलवे पेनाल्टी लगाता है तथा व्यापारियों द्वारा पेनाल्टी को माफ करने के आवेदन को निर्धारित समय में निष्पादन Merit के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए इस संबंध मे उचित मार्गदर्शक दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता है जिससे जमीनी हकीकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके।

(b) रेलवे का रैक पहुँचने पर मात्र 9 घंटा का समय खाली कराने को दिया जाता है जबकि बराबर रैक रात में ही पहुँचता है और उस समय मजदूर एवं ट्रकें उपलब्ध नहीं होने के कारण लगभग सभी व्यवसायियों को जुर्माना भरना पड़ता है अत: रैक खाली कराने के लिए कम से कम 15 घंटा का समय दिया जाना चाहिए ।

(c) सहरसा, लहेरियासराय, बिहारशरीफ में रेलवे साइडिंग मध्य शहर मे स्थित है जहाँ आठ बजे सुबह से नौ बजे रात्री तक नो–इण्ट्री लगा दी जाती है जिससे व्यापारियों को माल हटाने के लिए बहुत कम समय मिलता है इसलिए इन स्थानों में वैकल्पिक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माल यातायात एवं उनका वितरण सुगमता से हो सके।

रेलवे को सामानों की आपूर्त्ति से संबंधित सेवायें

(a) भारत सरकार ने सभी प्रकार के खरीद में MSME Units से खरीद हेतु प्रतिशत निर्धारित किया है अत: उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

स्थानीय खरीद हेतु स्थानीय अनुशांगी उद्योगों को विकसित किया जाये।

(b) आज पूर्व मध्य रेलवे में अधिकांश खरीद ई–टेंडर के माध्यम से की जाती है । ई–टेंडर में प्रावधान रहता है कि सामान रेलवे Consignee को पहुँचने पर कुल कितना खर्च रेलवे को देना होगा (मुल्य + टैक्स + Actual freight) उसकी तुलना हो । कई टेंडर में कोई क्लाउज के तहत भाड़ा/टैक्स को अलग कर दिया जाता है जिससे रेलवे को नुकसान होता है एवं बिहार के उद्यमियों को भी नुकसान होता है । इसकी विसंगतियों को देखने की आवश्यकता है ।

क्रमश:.....4

यात्री सुविधाएँ

महोदय, आमजनों की भांति राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी भी रेलवे के सक्रिय उपभोक्ता हैं अत: यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु हमारा निम्नलिखित सुझाव है –

(i) पटना–मुंबई, पटना–राँची, पटना–लखनऊ, पटना–दिल्ली, पटना–मुबई, पटना–पुणे, पटना–बैगलुरू, पटना–चेन्नई तथा पटना–हैदराबाद के बीच दुरंतो चलायी जानी चाहिए ।

(ii) पटना से कानपुर के बीच शताब्दी ट्रेन चलायी जानी चाहिए ।

(iiii) रक्सौल–पटना के बीच इंटरसिटी चलायी जानी चाहिए ।

(iv) पटना से जबलपुर नई ट्रेन चलायी जानी चाहिए ।

(v) पटना से हावड़ा दुरन्तो प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए । साथ ही पटना से हावड़ा चलनेवाली जनशताब्दी को रविवार के दिन भी चलायी जानी चाहिए ।

(vi) पटना–कोचीन एक्सप्रेस (6309/6310) को प्रतिदिन दिन चलाया जाना चाहिए और इसे सुपरफास्ट बनाया जाना चाहिए। चूँकि दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गाड़ी है, इसलिए इसमें ज्यादा यात्री डब्बे लगने चाहिए।

(vii) दूसरे प्रान्तों से पटना आनेवाली तथा पटना से जानेवाली सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों मे पैन्ट्रीकार एवं जीवन रक्षक दवाओं की सुविधा होनी चाहिए ।

(viii) राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन जाने के लिए राजेन्द्रनगर की ओर से प्रवेश एवं निकास हेतु अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक रास्ता नही बनाया गया है। यदि ये रास्ता बन जाए तो पटना जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों का बोझ काफी घटेगा।

(ix) रेलवे ने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए Help Line Number जारी किया है । इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ।

(x) बर्थ आरक्षण में वरीय नागरिक को आवश्यक रूप से Lower Berth की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना चाहिए ।

रेलवे के Emergency Quota के संबंध में

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभी सदस्य उद्यमी एवं व्यवसायी हैं और उन्हें कई बार अपने व्यवसाय के सिलसिले में अचानक बाहर जाना नितान्त आवश्यक हो जाता है । अत: रेलवे के Emergency Quota के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध को प्राथमिकता देने का आग्रह है ।

****